

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र0स0. 55/20 ता0रजु. 6-1-2020 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 07-02-2020

सरकार

बनाम

इयाचिन्द पुत्र शम्भुचरन

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का खेड़ी जससिन्हा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम खेड़ी जससिन्हा के खसरा नम्बर 2817 रकवा 152 हैक्ट. किस्म भूमि चारागाह पर सम्बत 2076 में श्री इयाचिन्द पुत्र शम्भुचरन खेड़ी जससिन्हा तह0 बयाना ने 0-20 ईस अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल बाबजूद सूचना नहीं आया अतः एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 2817 रकवा 0-20 हैक्ट. वाके ग्राम खेड़ी जससिन्हा से बेदखल किया जाता है। लगान 3-20 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 160K रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/ अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 07-02-2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार
बयाना

बयाना बयाना का नाम लामबु
का नं 04 क पत्र नं 1)
दिनांक 07-02-2020
वेतन का नं 160/ नीलामी
उपरोक्त बयाना
न्यायालय बयाना